संख्या:164/1491जेएल/22-3-15-400(17)/2011

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 09 जून, 2015***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी राजवीर की पत्नी श्रीमती सुधा के साथ जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये बलात्कार के सम्बन्ध में श्री आर0एच0 बंसल द्वारा की गयी शिकायत के प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में पीड़ित महिला श्रीमती सुधा को रू0-1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या-15984/मा0अनु0(6)/6-एलकेओ/22/2013, दिनांक 08-05-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी राजवीर की पत्नी श्रीमती सुधा के साथ जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये बलात्कार के सम्बन्ध में श्री आर0एच0 बंसल द्वारा की गयी शिकायत के प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र/केस संख्या-35842/24/25/2011-डब्लूसी, दिनांक 13-03-2015 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में उक्त पीड़ित महिला श्रीमती सुधा पत्नी बंदी राजवीर, निवासी-ग्राम-दोबा, पोस्ट व थाना-अहिरवा कटरा, जनपद-औरैया को रू0-1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) अंतरिम राहत के भुगतान की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष-2015-16 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि भुगतान की जानी वाली अंतरिम राहत के समतुल्य धनराशि की वसूली दोषी पायें गये अधिकारियो/कर्मचारियो से कराकर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-''2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद्-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि का भुगतान मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13-03-2015 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

4- कृपया यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशो का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। **---2**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कृपया उपरोक्त के अनुसार पीड़ित महिला श्रीमती सुधा पत्नी बंदी राजवीर को अंतरिम राहत का भुगतान तत्काल कराते हुए, भुगतान की पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-145/दस-2014, दिनांक 23-06-2014 में प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अनुक्रम में गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1399/छः-मा0-1-14-21(विविध)/13, दिनांक 26-06-2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किए जा रहें है।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:164/1491जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निबन्धक (लॉ), मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी, जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110023
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. जिला मजिस्ट्रेट, औरैया (उ0प्र0)।
4. मुख्य कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फर्रूखाबाद।
6. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
7. अनु सचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्रांक-30एसबीएन/छः-मा0-1-15-2(13)/2015, दिनांक 21-04-2015 के संदर्भ में।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in